न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र संख्याः—130 / 2013 (74 / 2011)

पूरनदेई पुत्री लालाराम उर्फ लाला, जाति जाटव निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर। .....**प्रार्थिया**

बनाम

1. शान्ति पुत्री लालाराम } जातियान जाटव, निवासी ग्राम तुहिया,
2. रामजीलाल पुत्र आशाराम } तहसील व जिला भरतपुर

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

आदेश

दिनांकः— 11—02—2019

प्रार्थिया ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया की पैतृक आराजी खसरा नंबरान 196 / 0.17, 197 / 0.18 किता 2 वाके ग्राम तुहिया एवं खसरा नंबरान 326 / 0.57, 340 / 0.17, 341 / 0.38, 342 / 0.13, 343 / 0.30, 344 / 0.22, 345 / 0.11, 346 / 0.15 किता 8 रकबा 2.0500 हैक्टेयर वाके ग्राम टोंटपुर तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थिया निष्फ हिस्से में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के साथ व हिस्सा बराबर की खातेदार काबिज काश्तकार कृषक नियत है तथा मुताबिक मनबट अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है।

उभयपक्ष का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है —

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिद्धी (मृतक)

स्व0 लालाराम

स्व. गुलकन्दी | शान्ति पुत्री | पूरन देई पुत्री | प्रार्थिया वादिनी

रामजीलाल प्रतिवादीगण | पति खिल्लू

असल नि. शहजादपुर | नि. घोसराना

आगरा (उ.प्र.) | अलवर राज0

आराजी खसरा नंबरान 196, 197 वाके ग्राम तुहिया में निष्फ हिस्सा पर माता प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में अन्य दो सह काश्तकारों के साथ अंकित है तथा अपने हिस्से मुताबिक प्रार्थिया काश्त कर रही है।

प्रार्थिया निष्फ हिस्सा प्रतिवादीगण व अप्रार्थीगण 1 व 2 के साथ मनबट कर पृथक पृथक आराजी खसरा नंबर उक्त वाके टोंटपुर काश्त कर रही है।

अप्रार्थीगण वाके ग्राम टोंटपुर की राजस्व रिकार्ड में निष्फ हिस्सा के गलत इन्द्राज हो जाने के कारण प्रार्थिया को लट्ठ के बल पर काश्त करने की धमकी देते हैं।

उक्त आराजीयात प्रार्थिया के पिता को विरासतन प्राप्त हुई थी। स्व0 लालाराम मिल्टीमैन थे जो हिन्दी में हस्ताक्षर करते थे। अपने जीवनकाल में अंतिम वसीयत के अलावा कभी भी आराजीयात को रहन वय मुन्तकिल नहीं किया था। माता–पिता की हम दो सन्तान प्रार्थिया व अप्रार्थी सं0 1 थे। अप्रार्थी शान्ति बड़ी बहिन है घर की कर्ताधर्ता रही है। मृतक लालाराम सम्पन्न व्यक्ति थे अपने जीवनकाल में कभी भी कर्जा व उधारी किसी शख्स से नहीं ली थी कभी भी जरूरत नही पड़ी थी।

ग्राम टोंटपुर की भूमि जो सौंख रोड़ व मथुरा रोड़ भरतपुर के बीच में आराजीयात है उसकी कीमत फिलहाल 35 लाख रु. प्रति बीघा है इसी कारण अब अप्रार्थीगण उक्त को चालाकी से गलत इन्द्राज के आधार पर वय व मुन्तकिल करने पर उतारू हैं। प्रार्थिया ने अपने हिस्से की जमीन का बंटवारा करा कर अलग खेत कायम कराने की अप्रार्थी सं0 1 से दिनांक 25.03.2011 को कहा तो उसने

मना कर दिया कि तुम्हारा कोई हिस्सा आराजीयात में नही है। मैंने अपने पति रामजीलाल के नाम बीसीयों वर्ष पूर्व पिताजी से वयनामा करा लिया है। प्रार्थिया अशिक्षित खेतीहर मजदूर पेशा औरत है। प्रार्थिया ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व रजिस्ट्री वयनामा के बारे मे जानकारी करवाई तथा समस्त रिकार्ड भूराजस्व की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की तो जानकारी में आया है, इसी कारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया के हिस्से की जमीन को हड़पने की नीयत से अप्रार्थी सं0 1 से मिलकर छलपूर्वक फर्जकारी से बिना प्रतिफल के मृतक पिता प्रार्थिया पर से वृद्ध अवस्था व बीमारी की हालत में दिखवाने डाक्टर के बहाने चुपके से प्रार्थिया की जानकारी में न लाते हुए व अप्रार्थीगण ने चालाकी से ग्रामीण व्यक्तियों की जानकारी में न लाते हुए साक्षी कदीमल समाज के बाहर के व्यक्तियों की गवाही कराई। दिनांक 05.12.1984 में रजिस्टर्ड वयनामा वाके ग्राम टोंटपुर के निष्फ हिस्सा की रजिस्ट्री बिना प्रतिफल के करा ली है जो प्रार्थिया के प्रति वातिल व बेअसर है व शून्य प्रभावी है।

इस प्रकार प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व दौराने मुकदमा आराजी को रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में संवत 2063–2066, 2066–2069, 2029 की जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल पेश किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को दिनांक 21.04.2011 को वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने, रहन वय न करने बावत स्थगन आदेश से पाबन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और अपना जबाव प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने अपना जबाव प्रस्तुत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। प्रार्थिया ने जवाब प्रार्थना पत्र के उजरात मजीद में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबरान 326/0.57, 340/0.17, 341/0.38, 342/0.13, 343/0.30, 344/0.22, 345/0.11, 346/0.15 किता 8 रकबा 2.0500 हैक्टेयर वाके ग्राम टोंटपुर तहसील भरतपुर के 1/2 हिस्सा को अप्रार्थी सं0 2 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 05.12.1984 से आराजी के मूल खातेदार लालाराम पुत्र छिद्दी जाति जाटव से खरीद किया था और उक्त वयनामा लालाराम द्वारा अपनी मर्जी से सब रजिस्ट्रार भरतपुर के समक्ष निष्पादित किया है। वयनामा के आधार पर न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के नाम दिनांक 27.12.1984 को दाखिल खारिज किया जिसके आधार पर अप्रार्थी सं. 2 का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज आये हैं। और वर्तमान में अप्रार्थी सं0 2 उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज है जो काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थिया का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी लालाराम पुत्र छिद्दी की पैतृक आराजी नहीं थी बल्कि स्वयं पैदा कर्दा आराजी है जिसको दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार लालाराम को था। पैतृक आराजी नहीं होने के कारण भी प्रार्थिया का कोई अधिकार उक्त आराजी पर नहीं है। अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा लालाराम से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया और इन्द्राज खातेदारी मिले। और एक खातेदार काश्तकार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। प्रार्थिया का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही प्रार्थी का कब्जा काश्त ही उक्त आराजी पर है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मैण्टनेबल नहीं होने से काबिल खारिज के है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी व उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया। बिंदुवार विवेचन निम्नानुसार है –

1. **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–** प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबंदी संवत 2063–2066, जमाबंदी संवत 2066–2069, मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संवत 2029–2032 की छाया–प्रतियां पेश की हैं। उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि संवत 2029 में वादग्रस्त आराजी पर लालाराम पुत्र सिद्धी निष्फ व मोहनलाल, रामप्रसाद, रतनसिंह पिसरान मिरचुआ वहिस्सा बराबर निष्फ के खातेदार दर्ज हैं। मिलान क्षेत्रफल से वादग्रस्त आराजी के हाल नंबर बनना बखूबी साबित है। हाल जमाबंदी संवत 2066–2069 पर रामजीलाल पुत्र आशाराम के इन्द्राज दर्ज हैं। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थिया के हक में कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण बनना प्रमाणित नहीं है।

   छायाप्रति वयनामा दिनांक 05.12.1984 व सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जारी नकल नामांतरकरण तथा बंदोबस्त विभाग के पर्चा से भी यह तथ्य जाहिर होता है कि लालाराम पुत्र सिद्धी आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज था, जिसने आराजी को जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 05.12.1984 को रामजीलाल पुत्र आशाराम अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। जिसके स्थान पर नामांतरकरण दिनांक 27.12.1984 को स्वीकृत हुआ, जिसके आधार पर हाल रिकार्ड में रामजीलाल आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज है और कानूनन एक रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी के पैतृक आराजी होने के आधार पर अपना हिस्सा चाहती है लेकिन आराजी पैतृक हो, इस बावत कोई दस्तावेज प्रार्थिया द्वारा पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT-2018(2)1275, DNJ 2017(1)RAJ132, RRT 2017(2) 1358, RRT 2016-2017(SUPP) 637, RRT 2016 (2) 1323 प्रकरण पर बखूबी चस्पा होते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थिया के हक में साबित नहीं हैं।

2. **सुविधा का संतुलन :–** वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी सं0 2 खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है प्रार्थिया के नाम किसी भी प्रकार के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 2 एक अभिलिखित खातेदार होने से सुविधा का

Web Copy - Not Official

संतुलन भी प्रार्थिया के हक में न होकर अप्रार्थी सं0 2 के हक में पूर्णतः प्रमाणित होता है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** चूँकि अप्रार्थी सं0 2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और एक रिकार्डेड खातेदार को अनावश्यक रूप से स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है तो आराजी पर मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित रहेगा इस कारण अपूरणीय क्षति भी प्रार्थिया के बजाय अप्रार्थी सं0 2 को ही होना स्वाभाविक है। अतः यह बिंदु भी प्रार्थिया के बनस्पत अप्रार्थी सं0 2 के हक में अधिक साबित है।

अतः उपरोक्त तीनों बिंदु अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी.ए. खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.04.2011 निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर